



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3010]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 3010]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

आय-कर

का.आ. 3441(अ).—केंद्र सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 जी की उप धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "एरुलमीगु कपलीश्वररत्रिरूकायल, माइलापोरे, चेन्नै" को उक्त धारा के उद्देश्यों के लिए पूरे तमिलनाडु राज्य में ऐतिहासिक महत्व के स्थान और विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 87/2017/फा. सं. 176/9/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक